

162/सं०-321/2024

23-4-2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001 .


Sub: Regarding submission of Action Taken Report on behalf of UP Pollution Control Board in compliance to the order dated 31.05.2023 of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of Execution Application No. 17/2023 IN Original Application No. 207/2023 With Execution Application No. 18/2023 IN Original Application No. 208/2023, Nirmal Kumar Tripathi Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in above matters vide its order dated 31.05.2023. The action taken report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,


(Anil Kumar Sharma)

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Gorakhpur

Copy to: Following for information and further necessary action.

1. Member Secretary, U.P.P.C.B., Lucknow.
2. Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.
3. CEO-6, U.P.P.C.B., Lucknow.
4. CLO, U.P.P.C.B., Lucknow.

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Gorakhpur

BEFORE
THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
Execution Application No. 17/2023
IN
ORIGINAL APPLICATION NO- 207 / 2023
WITH
Execution Application No. 18/2023
IN
ORIGINAL APPLICATION NO- 208 / 2023

Action Taken Report on behalf of UP Pollution Control Board in compliance to the order dated 31.05.2023 of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of Execution Application No. 17/2023 IN Original Application No. 207/2023 With Execution Application No. 18/2023 IN Original Application No. 208/2023, Nirmal Kumar Tripathi Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors.

1. That Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, Delhi, vide its order dated 31.05.2023 has issued directions. The relevant excerpt of the aforesaid direction is as follows:-

..... ***4. In view of the above, let the State PCB file an action taken report with the Registrar General of this Tribunal within one month by e-mail at judicial-***




ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If any further direction appears to be necessary, the Registrar General, NGT may place the matter before the Bench for further direction.....

2. That vide letter dated 12.06.2023, Uttar Pradesh Pollution Control Board had issued a closure order under section 31 A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 against the both brick kilns in question i.e. M/s Jai Bajrang Bali Ent Udyog, Basdila, Kaudi Tiwari, Sadar, Deoria and M/s Swarswati Brick Field, Khoraram, Badiya Bujurg, Sadar, Deoria. The copy of the both closure order dated 12.06.2023 are being collectively attached herewith as **Annexure No-1** to this report.
3. That the compliance of the closure order dated 12.06.2023 for both the brick kilns in question were done on 27.06.2023 by the Joint Committee comprising officials of District Administration, Deoria and Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Gorakhpur. The copy of the both closure order compliance report dated 27.06.2023 are being collectively attached herewith as **Annexure No-2** to this report.



4. That further both the brick kilns in question were inspected by the Joint Committee comprising officials of District Administration, Deoria, Police Department, Deoria, Mines Department, Deoria, Fire Department, Deoria and Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Gorakhpur on 22.04.2024. In aforesaid inspection, the brick kiln M/s Jai Bajrang Bali Ent Udyog, Basdila, Kaudi Tiwari, Sadar, Deoria was found closed and the other brick kiln M/s Swarswati Brick Field, Khoraram, Badiya Bujurg, Sadar, Deoria was found operational which was closed again during inspection in compliance of the closure order dated 12.06.2023 by the said committee. The copy of the both inspection/closure order compliance report dated 22.04.2024 are being collectively attached herewith as **Annexure No-3** to this report.

The above report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before the Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration please.


(Anil Kumar Sharma)
Regional Officer
UP Pollution Control Board
Gorakhpur

उत्तर प्रदेश प्रदूषण
(UTTAR PRADESH POLLUTION)गोर्ड
L BOARD)

1195523

पत्रांक...../सी-6/ईट भट्टा/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023

दिनांक.....
12/6/23

सेवा में

मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड,
ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग,
तहसील-सदर,
जनपद-देवरिया।

पंजीकृत

यह कि मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी, पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे के पूरब दिशा में लगभग 2.0 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-अमेठी (आबादी लगभग 600) ईट भट्टे के पश्चिम दिशा में लगभग 1.5 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-बांकी (आबादी लगभग 500) उत्तर दिशा में लगभग ग्राम-रजला टोला लगभग 200 मीटर की दूरी (आबादी लगभग 300) एवं दक्षिण दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर एस०डी० पब्लिक स्कूल तत्पश्चात ग्राम-बढ़या बुजुर्ग लगभग 3.0 कि०मी० की दूरी पर (आबादी लगभग 500) स्थित है।

यह कि ईट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी/कोयला लगभग 3.2 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्टे में प्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यह कि ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है तथा ईट भट्टे की स्थापना हेतु बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना उद्योग की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया।
4. जिला खान अधिकारी, देवरिया।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करावें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6

Atulish yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6



27
उत्तर प्रदेश प्रदूषण निर
(UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD)

उत्तर प्रदेश
17-06-23

(BOARD)

प्रक्रिया क्र. 495/582/सी-6/ईट भट्टा/835/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023

दिनांक 17/6/23

सेवा में

मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग
ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी,
तहसील-सदर,
जनपद-देवरिया।

पंजीकृत

यह कि मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, लकड़ी/कोयला का प्रयोग कर 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(द) के अंतर्गत एक कंपनी है।

यह कि ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.06.2023 को किया गया है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानसार ईट भट्टे के पूरब दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम- बसडिला (आबादी लगभग 500) ईट भट्टे के पश्चिम दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम-सहारा (आबादी लगभग 450) उत्तर दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-बुटवल यादव का टोला (आबादी लगभग 200) एवं दक्षिण दिशा में ग्राम-सेमरहिया लगभग 800 मीटर की दूरी पर (आबादी लगभग 200) तत्पश्चात बैतालपुर-खोराराम मार्ग लगभग 3.5 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी/कोयला लगभग 3.2 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्टे में पलू गैसों के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानसार ईट भट्टे को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना उद्योग की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों को उल्लंघन है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1 जिलाधिकारी, देवरिया।
- 2 पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया।
- 4 जिला खान अधिकारी, देवरिया।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6

Atul Kumar Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6

स्पाट मेमो
कार्यवाही दिनांक 27-6-23

आज दिनांक 27-6-23 को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं० एच. 95582/सी०-6/ई०भ०/835/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मेसर्स जय बजरंगबली ईट उद्योग, ग्राम- बसडीला, पो०- कौड़ी तिवारी, तहसील- सदर, जनपद- देवरिया स्थित ईट भट्ठे के जाँच हेतु राजस्व टीम/पुलिस टीम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित/बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्ठे को संचालन बन्द कराया गया तथा ईट भट्ठा मालिक को अवगत कराया गया कि भविष्य में ईट भट्ठे का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये न किया जाये।


27-6-23
(जय बजरंगबली ईट उद्योग)
जय बजरंगबली
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर


27-6-23
(नापब (ए. ई. सी. डार)
देवरिया

श्री जय बजरंगबली ईट उद्योग

श्रीमान्द. मा. रज. मुन्शी
27-6-2023

ईट भट्ठा बन्द कर दिया गया है

श्री. दारिया (पादत्र)

स्पाट मेमो
कार्यवाही दिनांक27-6-23

आज दिनांक...27-6-23... को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं० एच. 95583/सी०-6/ई०भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम- खोराराम, पो०- बढया बुजुर्ग, तहसील- सदर, जनपद- देवरिया स्थित ईट भट्टे के जाँच हेतु राजस्व टीम/पूलिस टीम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित/बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्टे को संचालन बन्द कराया गया तथा ईट भट्टा मालिक को अवगत कराया गया कि भविष्य में ईट भट्टे का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये न किया जाये।

(Signature)
27-6-23
(उपनिवेश प्रसाद)
जं० एच०

(Signature)
27.06.23
(नाथन तहसील प्रशासक)
देवरिया

मै० सरस्वती ब्रिक्स फील्ड
खोराराम
देवरिया

प्र० ईट भट्टा बन्द कर दिया गया है।
हार्शिम (पादक)

स्पोर्ट मेमो

कार्यवाही दिनांक 22/04/2024

मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम खोराराम, पोस्ट बढ़या बुजुर्ग, तहसील सदर, जनपद देवरिया को जारी बन्दी आदेश पत्रांक एच 95583/सी-6/ईट भट्टा/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023 दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में पूर्व में दिनांक 27.06.2023 को जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्टे का संचालन बन्द करा दिया गया था। भट्टे के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में आज दिनांक 22/04/24 को जिला प्रशासन, पुलिस बल एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर के संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया, जिसे पुनः बन्द करा दिया गया है तथा उपस्थित प्रतिनिधि को अग्रिम आदेशों तक बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु निर्देशित किया गया।

Agar
22-4-24
वैसाफि सहायक
(अच्छोद्या प्रसाद)
U.P.P.C.B. GRP.

Jhu
22/4/24
क्षेत्रीय अधिकारी
(अनिल कुमार शर्मा)
3050 प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर

22/4/24
रकन अधिकारी
(जितेंद्र शर्मा)
देवरिया

22/4/24
नायब तहसीलदार
(रत्नेश शर्मा)
देवरिया

22/04/24
थाना सदर
देवरिया

22/04/24
अग्निशमन अधिकारी
देवरिया

सरस्वती ब्रिक फील्ड

शम्भू यादव

22/4/24

मैंने जय चंद्रग बल्लो डीर हदकोन, की डीर, मोर कोनी लिकरी
बहसील सदा जगपद देवलिग का खंडुक्व निरीक्षण
काप दिगीन 22/04/2024 को किया गया। निरीक्षण
के समय डीर मद्रा, कदी कादेशा दिगीन 12-06/2024
के काहुपालन से बंद गया गया। स्वतः ग
उत्पादन से इम्बाहिर कोई शक्ति विद्युत लेता नहीं
चापा गया। काव्या करिग कावश्यक कार्य बाह
देह स्थान पर प्रस्तुत।

(HBS)
UPPCB
GKP

(कारिवायन कार्य)
देवलिग

(सुद कोवकी)

(खान कोव)

(जापकरोहसीत कर)
सदर

(उपनिरीक्षक)
अपुन पुलिस
धान कोववाली
देवलिग